



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

आदिवासियों के लिए स्थायी बंदोबस्त का आह्वान

आदिवासियों के लिए स्थायी बंदोबस्त का आह्वान

संदर्भ

- विस्थापित आदिवासियों के लिए स्थायी बंदोबस्त पर हाल की चर्चाओं में उनके भूमि अधिकार, आजीविका सुरक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

अवलोकन: भारत में अनुसूचित जनजातियाँ (STs)

- जनसंख्या:** 104 मिलियन से अधिक (जनगणना 2011); भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6%;
- अनुच्छेद 342:** यह परिभाषित करता है कि संविधान के प्रयोजनों के लिए किन जनजातियों को 'अनुसूचित जनजाति' माना जाएगा।
 - यह संसद को इस सूची में जनजातियों को जोड़ने या हटाने का अधिकार देता है।
- संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूचियाँ:** क्रमशः मध्य और पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और शासन का प्रावधान करती हैं।
- अनुच्छेद 15 और 16:** भेदभाव का निषेध तथा शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान।
- अनुच्छेद 46:** राज्य को अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का अधिकार देता है।

जनजातीय विस्थापन के कारण

- विकास परियोजनाएं:** बाँध, खनन और औद्योगिक परियोजनाओं जैसी बुनियादी ढाँचागत पहलों के कारण लाखों जनजातीय लोगों को विस्थापित होना पड़ा है।
 - बाँध, खनन और औद्योगिकीकरण जैसी बड़े पैमाने की परियोजनाओं के कारण 1990 तक लगभग 85.39 लाख आदिवासी लोग विस्थापित हुए। उदाहरणों में नर्मदा घाटी परियोजना तथा ओडिशा और झारखण्ड जैसे राज्यों में कोयला खनन सम्मिलित हैं।
 - देश की कुल विस्थापित आबादी में जनजातीय लोगों की हिस्सेदारी 55.16% है।
- संघर्ष और उग्रवाद:** छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में जनजातीय समुदाय माओवादी विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष के कारण विस्थापित हुए हैं।
- भूमि स्वामित्व का मुद्दा:** नीति आयोग के अनुसार, अब तक केवल 45% संभावित वनवासियों को ही भूमि स्वामित्व जारी किया गया है, जिससे लाखों लोग सुरक्षित स्वामित्व से वंचित रह गए हैं।
- संरक्षण प्रयास:** प्रोजेक्ट टाइगर के कारण 5.5 लाख अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों को विस्थापित होना पड़ा है।
 - 2021 से पूर्व भारत में बाघ अभ्यारण्यों से लगभग 2.54 लाख लोग विस्थापित हुए थे, लेकिन 2021 के पश्चात् विस्थापन दर में तेजी से वृद्धि हुई।
- बेदखली का लिंग आधारित प्रभाव:** लघु वन उपज की प्राथमिक संग्राहक महिलाएँ, वन विस्थापन से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। भूमि स्वामित्व वितरण में उनकी भूमिका को अक्सर कानूनी रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है।
- पर्यावरण बनाम जनजातीय अधिकार संघर्ष:** संरक्षण और औद्योगिक विकास के लिए दबाव के परिणामस्वरूप प्रायः आदिवासियों को संरक्षित क्षेत्रों से जबरन स्थानांतरित होना पड़ता है।
 - बाघ अभ्यारण्यों में, NTCA ने उचित सहमति या पुनर्वास के बिना जनजातीय आबादी के स्थानांतरण को स्वीकार किया।

- कानूनी मान्यता का अभाव:** कई विस्थापित आदिवासी अवैध रूप से कब्जा की गई वन भूमि पर रहते हैं, तथा प्राधिकारियों की ओर से उन्हें बेदखली की धमकियों का सामना करना पड़ता है।
 - वन विभागों ने कई राज्यों में वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन का विरोध किया तथा आदिवासियों के उचित दावों को 'अतिक्रमण' करार दिया।
 - आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति का अभाव उन्हें शोषण के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- कानूनी बाधाएँ और नौकरशाही प्रतिरोध:** कई दावों को दस्तावेजी साक्ष्य की कमी जैसे तकनीकी आधारों पर खारिज कर दिया जाता है, जबकि मौखिक परंपराएं FRA के तहत कानूनी रूप से स्वीकार्य हैं।
- पुनर्वास अंतराल:** अनुमानित 85 लाख विस्थापित व्यक्तियों में से केवल 21 लाख का ही पुनर्वास किया गया है, जो पुनर्वास प्रयासों में महत्वपूर्ण अंतराल को उजागर करता है।

विस्थापन का प्रभाव

- भूमि और आजीविका की हानि:** विस्थापन के परिणामस्वरूप प्रायः भूमि का हस्तांतरण होता है, जिससे जनजातीय लोग अपनी जीविका के प्राथमिक स्रोत से वंचित हो जाते हैं।
 - कई विस्थापित व्यक्तियों को स्थिर रोजगार पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक असुरक्षा उत्पन्न होती है।
- सांस्कृतिक विघटन:** बलात् पलायन से जनजातीय सामाजिक संरचनाएँ और परंपराएँ बाधित होती हैं, तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान नष्ट होती है।
- सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियाँ:** विस्थापित जनजातियों को सामाजिक अलगाव, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच की कमी और मनोवैज्ञानिक आघात का सामना करना पड़ता है।

प्रारंभिक पुनर्वास प्रयास

- इससे पहले, 1949 में, भारत सरकार ने निजाम के आत्मसमर्पण के बाद तेलंगाना के कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों से लड़ने के लिए आदिवासियों को जंगलों से हटाकर सड़क किनारे शिविरों में स्थानांतरित कर दिया था।
- 2005 में, जब सरकार ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों को समाप्त करने के लिए 'रणनीतिक हैमलेटिंग' कार्यक्रम प्रारंभ किया, तो लगभग 50,000 गोंड आदिवासियों को तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश (अब तेलंगाना का हिस्सा) में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- मिजो पुनर्वास कार्यक्रम (2019) ने विस्थापित ब्रू (रियांग) आदिवासियों को सफलतापूर्वक स्थायी बसावट प्रदान की।
- हालाँकि, गुट्टी कोया आदिवासियों के लिए ऐसे प्रयास नहीं किए गए हैं, जो अपनी बस्तियों की कानूनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

सरकारी पहल और प्रतिक्रियाएँ

- वन अधिकार अधिनियम, 2006:** यह निवास और खेती के लिए व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदान करता है, और सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करता है, जिससे आदिवासियों को वन संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग करने की अनुमति मिलती है।
 - FRA, 2006 के अनुसार, यदि किसी आदिवासी व्यक्ति को 13 दिसंबर, 2005 की कट-ऑफ तिथि से पहले उसके कब्जे वाली वन भूमि खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो राज्य को उसे वैकल्पिक वन भूमि उपलब्ध करानी होगी।

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग** ने विस्थापित आदिवासियों की संख्या और उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया है।
 - मिजोरम में ब्रू पुनर्वास कार्यक्रम जैसे सफल मॉडल अन्य क्षेत्रों के लिए आदर्श बन सकते हैं।
- **बनबंधु कल्याण योजना:** इसका उद्देश्य समग्र जनजातीय विकास है, लेकिन इसे वित्त पोषण संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे इसका प्रभाव सीमित हो गया है।
 - यह जनजातीय समुदायों के लिए बुनियादी ढाँचे और आजीविका के अवसरों में अंतराल को संबोधित करता है।
- **प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन):** इसे 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 75 विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रारंभ किया गया था।
 - यह आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, विद्युतीकरण और सतत आजीविका पर केंद्रित है।
- **अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना,** जिसे पहले जनजातीय उप-योजना के नाम से जाना जाता था: यह 42 मंत्रालयों में जनजातीय विकास के लिए धन आवंटन सुनिश्चित करती है।
- **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय :** यह 401 आवासीय विद्यालयों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है, जिनमें 1.2 लाख से अधिक छात्र नामांकित हैं।
 - यह छात्राओं के नामांकन को बढ़ावा देता है, जिसमें 59,255 छात्रों की तुलना में 60,815 छात्राएँ नामांकित हैं।

स्थायी समाधान का आह्वान

- **भूमि अधिकारों की कानूनी मान्यता:** विस्थापित आदिवासियों को भूमि स्वामित्व प्रदान करना उनकी स्थिरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
 - जनजातीय भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बन अधिकार अधिनियम, 2006 जैसे कानूनी प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है।
- **आजीविका सहायता:** कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार के अवसरों को पुनर्वास योजनाओं में एकीकृत किया जाना चाहिए।
 - शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** पुनर्वास नीतियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं को बरकरार रख सकें।

निष्कर्ष

- विस्थापित आदिवासियों के लिए स्थायी बसावट का आह्वान उनके अधिकारों, सम्मान और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- कानूनी मान्यता और आर्थिक सहायता से समर्थित एक सुव्यवस्थित नीति इन समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए अपना जीवन पुनर्निर्माण करने में सहायता कर सकती है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: विस्थापित जनजातीय समुदायों के स्थायी निपटान के लिए नीति किस प्रकार उनके भूमि अधिकारों, सांस्कृतिक संरक्षण और आजीविका सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर सकती है, साथ ही सरकारी एवं पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान भी कर सकती है?